कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: संशोधन–आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.07.2019 के द्वारा श्री अबरार हसन कादरी, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाजन–लूनकरणसर जिला बीकानेर को निजी विदेश यात्रा पर दिनांक 20.07.2019 से 12.09.2019 तक (45 दिवस) जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। आदेश में विदेश का नाम बर्लिन (जर्मनी) अंकित हो गया है। विदेश का नाम बर्लिन (जर्मनी) के स्थान पर सऊदी अरब (मक्का एवं मदीना शहर) संशोधित कर पढ़ा जावे।

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत रहेगी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/ए–2–7/विदेश यात्रा/2019 दिनांक– 10.07.19

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2– सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, बीकानेर
3– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक–लूनकरणसर (बीकानेर)।
4– सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5– प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाजन–लूनकरणसर (बीकानेर)
7– अबरार हसन कादरी, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाजन लूनकरणसर(बीकानेर)
6– निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री अबरार हसन कादरी, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाजन–लूनकरणसर जिला बीकानेर जन्मतिथि–21.02.1961 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक–20.07.2019 से 12.09.2019 तक (45 दिवस) बर्लिन(जर्मनी) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक का कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवें :–
   (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय / संस्था का राजकीय कार्य / शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है
   (iii) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच / कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है
   (iv) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित / विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता एवं मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन / व्यवसाय / नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

(नथमल डिडेल)
आ.प्र.से.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा / संस्था / ए–2–7 / विदेश यात्रा / 2019 दिनांक– 09.07.19

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2– सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, बीकानेर
3– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक–लूनकरणसर (बीकानेर).
4– सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5– प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाजन–लूनकरणसर (बीकानेर)
7– अबरार हसन कादरी, प्रधानाचार्य, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाजन–लूनकरणसर(बीकानेर)
6– निजी / रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)